

कार्यालय जिला कलक्टर(सहायता) कोटा

क्रमांक / सहायता. / सडक क्षति / 2020 / 1907

दिनांक : 22-06-2020

प्रेषिति

वित्तीय सलाहकार,

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग,

जयपुर।

विषय:-बजट आवन्तन करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मानसून सत्र 2019 में अतिवृष्टि/बाढ़ से अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड कोटा जिला कोटा तहसील दीगोद के 1 और तहसील सांगोद के 6 कार्य क्षतिग्रस्त बाध व नहरों की मरम्मत कार्य की राशि रुपये 10.50 लाख निम्नांकित मद में बजट आवन्तन करने का श्रेम करे।

मांग संख्या- 34

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02- बाढ़ चक्रवात आदि

122- खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्य की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02)- बाढ़ क्षेत्र में प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता

(01)- बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता

21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स)

भवदीय,

अति० जिला कलक्टर
कोटा

प्रशासनिक स्वीकृति

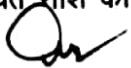
मानसून वर्ष 2019 में बाढ से अधिशायी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड कोटा के क्षतिग्रस्त कार्यो की तात्कालिक मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु पत्र क्रमांक 4079-82 दिनांक 27.12.2019 द्वारा उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव एवं सयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ8(6)आ प्र एवं सहा/प्रस्ताव/बाढ/19/10616-19 दिनांक 06.12.2019 के कम में अधिशायी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड कोटा की तकनीकी स्वीकृति अनुसार क्षतिग्रस्त तहसील दीगोद के 01 कार्य हेतु राशि 1.50 लाख एवं तहसील सांगोद के 06 कार्य हेतु राशि 9.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी :- अधिशायी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड कोटा

क्र.स.	रोड का नाम मय लोकेशन	एस.डी.आर.एफ. मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में
1	2	5
1	Repair of Anicut, Near village Atraliya Across River Ujar, G.P. Kundanpur P.S- Sangod District-Kota (Raj.)	1.50
2	Repair of Anicut, Near Village Thunpur Across River Ujar, G.P. Mandita P.S. - Sangod, District-Kota (Raj.)	1.50
3	Repair of Anicut, Near village Baheda Across River Parwan, G.P. Kundanpur P.S- Sangod District-Kota (Raj.)	1.50
4	Repair of Anicut, Near Village Mandita Across River Ujar, G.P. Mandita P.S. - Sangod, District-Kota (Raj.)	1.50
5	Repair of Anicut, Near Village Haripura Manjhi Across River Kalisindh, G.P Dhota P.S. - Sangod, District-Kota (Raj.)	1.50
6	Repair of Anicut, Near village Kundanpur Across River Ujar, G.P. Kundanpur P.S- Sangod District-Kota (Raj.)	1.50
7	Meintenance and Repair of Chandrawala Anicut Village Chandrawla, G.P. Kotsua Tehsil digod District-Kota (Raj.)	1.50
	Total	10.50

कार्य कराने में निम्न शर्तो की पालना की जावे :-

1. प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त कार्यो केवल उन्ही कार्यो की की जावे, जिन कायो की क्षति बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ से हुई है जिससे सामान्य जन-जीवन को बाधित होने से बान्ध/एनीकट की तात्कालिक मरम्मत करवाया जाना आवश्यक है।
2. उक्त कार्यो को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंसा की है।
3. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया Irrigation Department के अनुसार मान्य होगी।
4. विभाग द्वारा प्रति स्कीम रु0 1.50 लाख की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः जल संसाधन विभाग खण्ड कोटा उन दरो से अधिक राशि का उपयोग बांध/एनीकट की मरम्मत पर न करें।
5. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
6. प्रस्तावों में उन्ही कार्यो की मरम्मत करवाया जाये जो मरम्मत से ठीक करायी जा सकती है।
7. वे कार्यो जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
8. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होना आवश्यक है।
9. कराये गये कार्यो का भुगतान के लिए इस कार्यालय मे बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष मे भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
10. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरांत ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।



11. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त बान्ध/एनीकट की मरम्मत एवं पुनरुद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 6182 दिनांक 08.08.2019 द्वारा गणना की जावे।

12. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

13. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यों को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।

14. क्षतिग्रस्त कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।

15. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।

16. राशि का व्यय सामान्य वित्तीय लेखा नियमों S.D.R.F के नोर्म्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।

17. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

जिला कलक्टर,

कोटा

दिनांक 22-01-2020

क्रमांक/सहायता/बाढ़/2019/153

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त महोदय कोटा संभाग कोटा
3. अति० मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग वृत्त कोटा।
4. अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन विभाग कोटा।
5. उपखण्ड अधिकारी सांगोद/दीगोद
6. तहसीलदार सांगोद/दीगोद
7. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग खण्ड रामगंजमण्डी जिला कोटा।
8. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग जिला खण्ड कोटा
- 9-निजी सहायक अति० जिला कलक्टर कोटा।

जिला कलक्टर,

कोटा

327

वित्तीय-स्वीकृति

मानसून वर्ष 2019 में बाढ से अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड कोटा के क्षतिग्रस्त कार्यों की तात्कालिक मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु पत्र क्रमांक 4079-82 दिनांक 27.12.2019 द्वारा उपखण्ड स्तरीय समिति जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ8(6)आ प्र एवं सहा/प्रस्ताव/बाढ/19/10616-19 दिनांक 06.12.2019 के कम में अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड कोटा की तकनीकी स्वीकृति अनुसार क्षतिग्रस्त तहसील दीगोद के 01 कार्य हेतु राशि 1.50 लाख एवं तहसील सांगोद के 06 कार्य हेतु राशि 9.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सहायता/बाढ/2019/153 दिनांक 22.01.2020 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड कोटा की तकनीकी स्वीकृति अनुसार आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर की विभागीय वेबसाइट पर ऑन लाईन बजट मांग किये जाने पर पत्र क्रमांक एफ-2(1)(24)RC/acct/budget/2019-20 दिनांक 27.01.2020 से रुपये 10.50 लाख का बजट आवंटन प्राप्त हुआ है।

अतः अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड कोटा से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियां एवं विभाग से आवंटित बजट रुपये 10:50 लाख के निम्न क्षतिग्रस्त कार्यों की Repair & Restoration एस.डी.आर.एफ मद से कराये जाने हेतु निम्न शर्तों के अधीन एतद द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

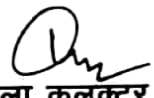
कार्यकारी एजेन्सी :- अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड कोटा

क्र.स.	रोड़ का नाम मय लोकेशन	एस.डी.आर.एफ. मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में
1	2	5
1	Repair of Anicut, Near village Atraliya Across River Ujar, G.P. Kundanpur P.S- Sangod District-Kota (Raj.)	1.50
2	Repair of Anicut, Near Village Thunpur Across River Ujar, G.P. Mandita P.S. - Sangod, District-Kota (Raj.)	1.50
3	Repair of Anicut, Near village Baheda Across River Parwan, G.P. Kundanpur P.S- Sangod District-Kota (Raj.)	1.50
4	Repair of Anicut, Near Village Mandita Across River Ujar, G.P. Mandita P.S. - Sangod, District-Kota (Raj.)	1.50
5	Repair of Anicut, Near Village Haripura Manjhi Across River Kalisindh, G.P Dhota P.S. - Sangod, District-Kota (Raj.)	1.50
6	Repair of Anicut, Near village Kundanpur Across River Ujar, G.P. Kundanpur P.S- Sangod District-Kota (Raj.)	1.50
7	Meintenance and Repair of Chandrawala Anicut Village Chandrawla, G.P. Kotsua Tehsil digod District-Kota (Raj.)	1.50
	Total	10.50

कार्य कराने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

1. प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त कार्यों केवल उन्ही कार्यों की जावे, जिन कार्यों की क्षति बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ से हुई है जिससे सामान्य जन-जीवन को बाधित होने से बाध/एनीकट की तात्कालिक मरम्मत करवाया जाना आवश्यक है।
2. उक्त कार्यों को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंसा की है।
3. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया Irrigation Department के अनुसार मान्य होगी।
4. विभाग द्वारा प्रति स्कीम रू० 1.50 लाख की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः जल संसाधन विभाग खण्ड कोटा उन दरों से अधिक राशि का उपयोग बाध/एनीकट की मरम्मत पर न करें।
5. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
6. प्रस्तावों में उन्ही कार्यों की मरम्मत करवाया जाये जो मरम्मत से ठीक करायी जा सकती है।
7. वे कार्यों जो Defect Liability Period के तहत आती हैं, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
8. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होना आवश्यक है।

9. कराये गये कार्यों का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
10. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
11. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त बान्ध/एनीकट की मरम्मत एवं पुनरुद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 6182 दिनांक 08.08.2019 द्वारा गणना की जावे।
12. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
13. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यों को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
14. क्षतिग्रस्त कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
15. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
16. राशि का व्यय सामान्य वित्तीय लेखा नियमों S.D.R.F के नोर्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
17. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।


 जिला कलक्टर,
 01 कोटा
 दिनांक 06-02-2020

क्रमांक/सहायता/बाढ़/2019/ 327-37
 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त महोदय कोटा संभाग कोटा
3. अति० मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग वृत्त कोटा।
4. अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन विभाग कोटा।
5. उपखण्ड अधिकारी सांगोद/दीगोद
6. तहसीलदार सांगोद/दीगोद
7. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग खण्ड रामगंजमण्डी जिला कोटा।
8. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग जिला खण्ड कोटा
- 9-निजी सहायक अति० जिला कलक्टर कोटा।


 जिला कलक्टर,
 01 कोटा

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) कोटा

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (डी0डी0एम0ए0) की बैठक दिनांक 01.10.2019
कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 01.10.2019 को समय 10.30 बजे पर जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिले में प्राकृतिक आपदाओं से जिले में आमजन के बचाव के सुरक्षात्मक उपाय, आश्रय स्थलों, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, मानसून वर्ष 2019 के दौरान बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों की मरम्मत एसडीआरएफ मद से कराने हेतु प्रस्तावों का अनुमोदन एवं फसल रबी ओलावृष्टि से प्रभावित कृषको को भुगतान की गई कृषि आदान अनुदान तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण(डीडीएमए) कोटा की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें संलग्न सूची अनुसार अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

सर्व प्रथम अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) कोटा द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत किया गया एवं अवगत कराया कि प्राकृतिक आपदाओं से आमजन के बचाव के सुरक्षात्मक उपाय, आश्रय स्थलों की व्यवस्था, मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं बचाव हेतु सुरक्षात्मक उपाय, शुद्ध जल व्यवस्था मानसून वर्ष 2019 के दौरान बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों की मरम्मत एस0.डी0आर.एफ. मद से कराने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन एवं फसल रबी ओलावृष्टि से प्रभावित कृषको को भुगतान की गई कृषि आदान अनुदान राशि का हिसाब तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलक्टर महोदय द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारियों को निम्न निर्देश प्रदान किये :-

1- आश्रय स्थल की व्यवस्था :-

कोटा शहर एवं जिले में आश्रय स्थलों की पर्याप्त व्यवस्था नगर निगम/स्थानीय निकाये द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये। वर्तमान में संचालित आश्रय स्थलों पर समस्त आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जावे।

2-मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं बचाव हेतु सुरक्षात्मक उपाय:-

मौसमी बीमारियों की रोकथाम व बचाव एवं चिकित्सालयों में पीडितों के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करे। मलेरियों व मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए समुचित व्यवस्थाएँ की जावे।

3- पेयजल व्यवस्था :-

जिले में शुद्ध पेयजल व्यवस्था की जलापूर्ति सुनिश्चित की जावे। अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि 4 में से 3 पम्प वर्तमान में कार्यरत है व 2 में पानी सप्लाई वर्तमान में चालू है।

4-सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत के प्रस्तावों पर विचार:-

मानसून 2019 के दौरान अतिवृष्टि /बाढ़ से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की एस0डी0आर0एफ0 मद से मरम्मत कराने हेतु प्राप्त निम्नांकित प्रस्तावों का आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में रखा गया: --

क्र०स०	विभाग	सार्वजनिक सम्पत्तिया	राशि (लाखों में)
1	अधिशायी अभियन्ता चम्बल परियोजना कोटा	आलनिया मध्यम सिचाई परियोजना लाडपुरा	38.34
	अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड कोटा	चन्द्रावला एनीकट, अतरालियाँ वगैरा एनिकट जीर्णोद्धार 35.00-544.58	579.58
2	अधिशायी अभियन्ता चम्बल परियोजना कोटा	आलनिया मध्यम सिचाई परियोजना लाडपुरा	15.36
3	नगर विकास न्यास कोटा	सडके -77	263.37
4	अधिशायी अभियन्ता सा०नि०वि० खण्ड ईटावा	क्षतिग्रस्त सडके 02 पुलिया 09'	14.59
5	अधि०अभियन्ता सा०नि०वि० रा०मण्डी	क्षतिग्रस्त राजकीय भवन / आवास कुल 11	12.00
6	अधिशायी अभियन्ता पीएचईडी डिविजन II सकतपुरा कोटा	1-आरसीसी पेडेस्टल 4 पम्प डेमेज 1300 एमएमपाईज 2-1300 एमएमएस पाईप लाईन क्षतिग्रस्त	60.00 5.00
7	अधिशायी अभियन्ता पीएचईडी डिविजन नगर खण्ड कोटा	पेयजल टैंकर	7.75

क्रम संख्या 1 से 5 विभागों से प्राप्त प्रस्तावों का बैठक में सर्व समिति से अनुमोदन किया गया। क्रम संख्या 6 पर अंकित अधिशायी अभियन्ता पीएचईडी डिवि० II सकतपुरा कोटा रुपये 65.00 लाख के प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित करवाकर भिजवाने के निर्देश दिये गये तथा क्रम 7 पर अंकित अधि०अभियन्ता पीएचईडी नगर खण्ड कोटा द्वारा प्रस्तुत टैंकरों के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के बिल प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।

बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी कोटा को निर्देश दिये गये कि मौसमी बीमारियों को मध्यनजर रखते हुए समस्त उपाये किये जावे। पानी भरे गढ़ों में जला हुआ तेल डाला जावे। Antilarva activity व fogging नियमित रूप से करवाई जावे। पशुपालन विभाग को निर्देश दिये गये कि पशुओं में हुई बीमारी का ध्यान रखा जावे।

जन स्वा० अभियान्त्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि कोटा शहर में हो रही गन्दे पानी की सफाई को चेक कराया जावे एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुचारु रखी जावे। पेयजल के साथ यदि पाईपलाईनों में कहीं लिकेज आदि हो तो उनको तत्काल ठीक कराये जावे।

नगर विकास न्यास कोटा/नगर निगम कोटा को शीघ्र सडको की मरम्मत करने के निर्देश दिये गये हैं।

कृषि विभाग के आये प्रतिनिधी को निर्देश दिये गये फसलों में हुये नुकसान व होने वाली बीमारियों के बारे में पूर्ण जानकारी का प्रचार प्रसार किया जावे एवं आवश्यक दवाईयाँ/सामग्री उपलब्ध कराये। विभाग के द्वारा जारी पम्पलेट सभी तहसीलों को भिजवाये जावे व किसानों में प्रचार प्रसार कराया जावे।

सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि उप निदेशक कृषि विभाग द्वारा जारी प्रपत्र में सम्बन्धित गिरदावरों / पटवारियों से आराजी का सर्वे कराया जावे, किस किस खेत पर कितनी कितनी फसल बोई थी, अतिवृष्टि से कितना खराबा हुआ है, का मौके पर जाँच की जावे व खराबों का पूर्ण आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे।

बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि बाढ़ आपदा से हुये नुकसान की सूचना नोम्स के अनुसार प्रस्तुत करें। सभी को यह भी निर्देश दिये गये कि गिरदावरी कार्य करवाकर / फसलो में हुये खराबा का आँकलन कर सूचना तत्काल प्रस्तुत की जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई

अति० जिला कलक्टर
कोटा
दिनांक 10/10/2019

प्रतिलिपी सहायता / 2019 / मीटिंग / 1820
प्रतिलिपी:-

- 1- जिला पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण कोटा
- 2- कमाण्डेन्ट आर०ए०सी० बटालियन कोटा
- 3- अति० जिला कलक्टर प्रशासन/नगर कोटा
- 4- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा
- 5- आयुक्त नगर निगम कोटा
- 6- सचिव नगर विकास न्यास कोटा
- 7- जिला रसद अधिकारी कोटा / जिला परिवहन अधिकारी कोटा
- 8- उपखण्ड अधिकारी कोटा / दीगोद / साँगोद / कनवास / ईटावा / रामगंजमण्डी
- 9- तहसीलदार लाडपुरा / दीगोद / साँगोद / कनवास / रामगंजमण्डी / पीपल्दा
- 10- मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी कोटा
- 11- सयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग कोटा
- 12- उप निदेशक कृषि विस्तार कोटा
- 13- परियोजना प्रबन्धक सी०ए०डी०कोटा
- 14- अधीक्षण अभियन्ता सा०नि०वि०कोटा / रामगंजमण्डी
- 15- अधिशाषी अभियन्ता सा०नि०वि० खण्ड साँगोद / ईटावा / रामगंजमण्डी
- 16- उपनियन्त्रक नागरिकसुरक्षा कोटा
- 17-
- 18- अति० निजी सचिव जिला कलक्टर कोटा

अति० जिला कलक्टर
कोटा